न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर

अपील / 24 / 2024

1. भानू प्रताप पुत्र रामवीर
2. वंशिका पुत्री रामवीर

} जाति जाट निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

3. खुशबू पुत्री विक्रम सिंह
4. मानवी पुत्री विक्रम सिंह
5. आराध्य पुत्री विक्रम सिंह
6. सोनाक्षी पुत्री विक्रम सिंह
7. याशिका पुत्री विक्रम सिंह

} नाबालिगान वली संरक्षक नाना खुद बच्चू सिंह पुत्र पलटूराम जाति जाट निवासी वैमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

8. नायांश पुत्र विक्रम सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

.....अपीलान्ट

बनाम

1. देवेन्द्री पत्नी रामवीर सिंह
2. मंजू पत्नी विक्रम सिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

3. तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 57 ग्राम भदीरा तारीखी 06.07.2024 तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

———

उपस्थित :—

1—श्री मोहन सिंह राना अभिभाषक अपीलान्ट

2—श्री नीरपाल सिंह अभिभाषक रेस्पो0 1, 2

निर्णय **दिनांक 21.11.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 06.07.2024 बाके ग्रांम भदीरा तहसील नदबई के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 06.07.2024 रेस्पो0 के हक में शुद्धिपत्र के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2.7.2024 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार नदवई के पत्रांक / भू.अभि. / 2025 / 3401 दिनांक 8.7.2025 के साथ

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

नामान्तकरण संख्या 57 तारीखी 06.07.24 की सत्यप्रतिलिपी प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी के बाबत अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में उनवानी भानू प्रताप वगै. बनाम रामवीर वगे. अपील संख्या 36 / 2024 पेश की गई हुई है जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर ने दिनांक 07.06.2024 को अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज विवादित आराजी एवं अन्य आराजी के बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। योग्य अभिभाषक का यह कथन है कि अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के स्थगन आदेश तारीखी 07.06.2024 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार नदबई को दी गई थी। तहसीलदार नदबई ने जिसे क्रमांक भू.अभि. / 2164 दिनांक 07.06.24 को ही पटवारी हल्का भदीरा को पालनार्थ भेज दी गई थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 3.6.24 को भरा गया है जो तहसीलदार नदबई ने दिनांक 6.7.24 को स्वीकार किया गया है। उनका यह भी कहना है हल्का पटवारी एवं तहसीलदार नदबई ने नामान्तकरण खोले जाने के सम्बन्ध में इतनी जल्दबाजी की है कि नामान्तकरण तस्दीक की दिनांक 6.7.24 एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल में दिनांक 13.7.24 जारी करने की दिनांक अंकित कर दी गई इस से जाहिर है कि तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने अपीलांटन को हानि पहुंचाने के लिये सारी कार्यवाही रेस्पो0 से मिलकर कर दी गई। तहसीलदार ने नामान्तकरण संख्या 57 को 6.7.24 में स्वीकार किया जो अपने आप में विवादस्पद है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2001 पेज 53 उद्वरत करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि तहसीलदार नदबई ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 57 सही स्वीकार किया है। नामान्तकरण स्वीकार दिनांक को कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। हल्का पटवारी ने शुद्धिपत्र के आदेश के आधार पर नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 5.6.24 को तहसीलदार नदबई के समक्ष पेश किया गया है। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण स्वीकृति में दिनांक 6.7.24 सहवन से दर्ज हो गई है क्योंकि उक्त नामान्तकरा की अपील ही अपीलान्ट ने दिनांक 2.7.24 को श्रीमान के समक्ष पेश कर दी गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंकित की गई तारीख 6.6.24 ही है। तहत न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 57 तारीखी 6.7.2024 का अवलोकन किया गया।नामान्तकरण के अवलोकन

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण मुताबिक शुद्धि पत्र आदेश के आधार पर विवादित आराजी का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.6.24 को भरा जाकर तहसीलदार नदबई के समक्ष दिनांक 5.6.24 को पेश किया जाना दर्शाया गया है, जबकि तहसीलदार नदबई ने नामान्तकरण स्वीकार करते वक्त तारीखी 6.7.24 दर्ज की गई है जो अपने आप में लिपिकी त्रुटिवस अंकित होना स्पष्ट करता है क्योंकि विचाराधीन अपील उक्त नामान्तकरण दिनांक 6.7.24 के खिलाफ अपीलान्ट ने इस न्यायालय में दिनांक 2.7.24 को पेश की गई है यानि नामान्तकरण स्वीकार दिनांक 6.7.24 से पहले। जहॉ तक प्रश्न विवादित आराजी पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के स्थगन आदेश दिनांक 07.6.24 का है यह विचारणीय प्रश्न है क्यों कि नामान्तकरण संख्या 57 हल्का पटवारी ने भरा जाकर दिनांक 5.6.24 को तहसीलदार नदबई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यानि तहसीलदार नदबई के समक्ष प्रस्तुती दिनांक 5.6.24 को स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था परन्तु तहसीलदार नदबई ने नामान्तकरण स्वीकार करते समय जो दिनांक 6.7.24 यह गलत है यह जांच का विषय है। अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे विवादित नामान्तकरण संख्या 57 स्वीकार दिनांक 6.7.24 की पुनः जांच करें क्या यह दिनांक 6.7.24 सहवन से दर्ज हो गई है? क्या स्वीकार दिनांक को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का स्थगन आदेश प्रभाव में था ?

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण संख्या 57 ग्रांम भदीरा तहसील नदबई के स्वीकार में अंकित दिनांक 6.7.24 की जांच करें क्या यह सहवन या टंकणीय त्रुटि से दिनांक 6.7.24 से दर्ज हो गई है? अगर टंकणीय त्रुटि है तो इसे सही तारीख का अंकन किया जावे। क्या नामान्तकरण स्वीकार दिनांक को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का स्थगन आदेश प्रभाव में था ? उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर